

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

सुमन देवी बनाम ब्रह्मिणी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 179/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री ब्रह्मिणी शंकर शंकर शीवा निवासी- गांधीनगर चित्तौड़गढ़ वरिष्ठ (7) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम ऐराणा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 139, 140, 944/138, 945/132 कीता 4 रकबा 0.6200 इ.नं. 123, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 142 कीता 11 रकबा 1.8700 कुल कीता 4+11=15 कुल रकबा 2.4900 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम ऐराणा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 139, 140, 944/138, 945/132 कीता 4 रकबा 0.6200 है तथा इ.नं. 123, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 142 कीता 11 रकबा 1.8700 कुल कीता 4+11=15 रकबा 2.4900 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 15000.00 रूपये अक्षरे एक हजार पचास (15000) प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>